

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-972/उरई-अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे०)/26448/2017, दिनांक, लखनऊ, नवम्बर /2, 2018
सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : 765 के०वी० डबल सर्किट उरई अलीगढ़ पारवण लाइन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8वी/सूची/04/37/2018/एफसी/80, दि० 04.05.2018
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचनाएँ एवं तत्सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनाएँ एवं अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

उक्त के क्रम में सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु-1, 2, 3, 4 व 5 की सूचना वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक-1681/14-1, दिनांक 09.10.2018 द्वारा तथा मैनपुरी वन प्रभाग से सम्बन्धित बिन्दु-3 की आंशिक सूचना वन संरक्षक, आगरा के पत्रांक-1961/14-1, दि० 02.11.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अतः वन संरक्षक, आगरा के उक्त दोनों पत्रों की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, एटा, फिरोजाबाद एवं मैनपुरी।
- 4- मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कॉर्पो० आफ इंडिया लि०, मैनपुरी।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।